प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान) कैम्प मण्डा (सुरेरा)

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मण्डा (सुरेरा) व भू.अ.नि. मण्डा (सुरेरा) की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार —— की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मण्डा (सु) प0ह0 मण्डा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् —— में खाता संख्या —— में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र.स.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	मण्डा (सुरेरा)	खसरा नम्बर 210, 211 किता-2 कुल रकबा 2.85 है0	पत्नी का नाम हनमान पुत्र मोटकलाल	पत्नी का नाम हनमान उर्फ कालूराम पुत्र मोटकलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। किसी भी न्यायालय का स्टे आदेश न हो तो दर्ज करें। शेष जमाबन्दी अशुद्ध नहीं।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 172
दिनांक:- 18/10/2021

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, दांतारामगढ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर